



2026:AHC:48955

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
रिट-सी संख्या 2329 वर्ष 2026

अवध नारायण
बनाम
उत्तर प्रदेश राज्य और 3 अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता : अजय सेंगर
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता : सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या-6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया।

1. दिनांक 1.3.2012 को वाद संख्या 134 वर्ष 2009-10 (राम दास बनाम सभाजीत और अन्य) में गाटा संख्या 116, रकवा 5.310 हेक्टेयर, जो मौजा बरेठी, तहसील परगना, जिला बांदा में स्थित है, के संबंध में याचिकाकर्ता के पक्ष में उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम, 1901 की धारा 41 और उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत शुरू की गई कार्यवाही में प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा आदेश पारित किया गया था। उपरोक्त आदेश के विरुद्ध उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम की धारा 210 के अंतर्गत अंजनी कुमार और अन्य द्वारा वैधानिक अपील दायर की गई थी, जिसे प्रत्यर्थी संख्या 1-अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम), चित्रकूट धाम मंडल, तहसील बांदा, जिला बांदा ने दिनांक 10.10.2022 के आदेश द्वारा खारिज कर दिया था।

2. यह तर्क दिया गया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा याचिकाकर्ता के पक्ष में दिनांक 1.3.2012 को पारित आदेश का अक्षरशः और भावनापूर्वक अनुपालन नहीं किया गया है। अतः यह रिट याचिका दायर की गई है।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रत्यर्थियों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

4. इस न्यायालय की समवर्ती पीठ द्वारा कई रिट याचिकाओं में विधि को अच्छी तरह से स्थापित किया गया है, जिनमें प्रमुख रिट याचिका संख्या 35470 वर्ष 2025 (मीना देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य) शामिल है जो दिनांक 18.12.2025 को निर्णित हुई, जिसमें प्रस्तर संख्या 44 से 46 में कुछ निर्देश दिए गए थे, जो इस प्रकार हैं-

“44. उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 की धारा 24 के अंतर्गत सीमा विवादों के त्वरित निपटारे के लिए एसडीओ को वैधानिक अर्ध-न्यायिक शक्तियां प्राप्त हैं, साथ ही सीमांकन और कब्जे की बहाली के लिए अनिवार्य प्रवर्तन अधिकार भी दिए गए हैं। प्रवर्तन विवेकाधीन नहीं है, बल्कि प्रावधान की प्रभावशीलता का अभिन्न अंग है - प्रवर्तन में विफलता संपूर्ण त्वरित तंत्र को निरर्थक बना देती है और विधायी आशय को विफल कर देती है। तैयार किए गए व्यापक दिशानिर्देशों का उद्देश्य वैधानिक आदेशों (संहिता, 2006 की धारा 24; नियम, 2016 का नियम 22), कार्यकारी निर्देशों (साशनादेश दिनांक 16.12.2025), प्रशासनिक विधि सिद्धांतों और निष्पक्षता और सार्वजनिक व्यवस्था के संवैधानिक अनिवार्यताओं को सामंजस्य स्थापित करने वाला एक संरचित ढांचा प्रदान करना है। संबंधित प्रत्यर्थी, विशेष रूप से एसडीओ और कलेक्टर, विधि के अंतर्गत धारा 24 के अंतर्गत आदेशों के प्रभावी प्रवर्तन को सुनिश्चित करने के लिए बाध्य हैं।

45. उत्तर प्रदेश राज्य के राजस्व विभाग के सचिव यह सुनिश्चित करेंगे कि उपर्युक्त दिशा-निर्देश राज्य के सभी राजस्व अधिकारियों तक पहुंचाए जाएं। अनिवार्य प्रशिक्षण प्रदान करने और आरसीसीएमएस प्रोटोकॉल के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र भी स्थापित किया जाए।

46. प्रत्यर्थियों, विशेषकर संबंधित एसडीओ को निर्देश दिया जाता है कि वे इस रिट याचिका के सभी संबंधित आदेशों को इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर, अनुमोदित स्थल ज़ापन/सीमांकन आख्या के अनुसार सख्ती से निष्पादित करें, जिसमें

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”



सीमांकन चिह्नों का निर्धारण और जहाँ कहीं आवश्यक हो, कब्जे की बहाली सुनिश्चित करना शामिल है।”

5. इस मामले को देखते हुए, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम रूप से निस्तारण करते हुए संबंधित उप-खंड मजिस्ट्रेट-प्रत्यर्थी संख्या 3 को निर्देश दिया जाता है कि वे दिनांक 1.3.2012 के आदेश का सख्ती से विधि के अनुसार और मीना देवी (उपरोक्त) मामले में ऊपर उद्धृत टिप्पणियों के अनुसार पालन करें, जब तक कि कोई विधिक बाधा न हो।

9 मार्च, 2026

पी.पी.

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

अस्वीकरण

“अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।”